न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 30/2023

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जयपुर अ

प्रार्थी

बनाम

1. इकबाल खां पुत्र नजीर मोहम्मद जाति पठान निवासी अमरसर तहसील शाहपुरा
2 दाउदअली खां पुत्र बशीर खां जाति पठान निवासी अमरसर तहसील शाहपुरा
3 दिलदार खां पुत्र गुलाब अहमद जाति पठान निवासी अमरसर तहसील शाहपुरा
4 सरवरखान पुत्र अब्दुल खां जाति पठान निवासी अमरसर तहसील शाहपुरा
5 हैदरअली पुत्र अब्दुल खा जाति पठान निवासी अमरसर तहसील शाहपुरा
6 हिदायत अली खां पुत्र शेरअली खां जाति पठान निवासी अमरसर तहसील शाहपुरा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश दिनांक 06-06-2023

प्रार्थी लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर जाहिर किया कि आराजी खसरा नम्बर 1364 रकबा 5.84 है0 किस्म गै0मु0आबादी वाके ग्राम अमरसर तहसील शाहपुरा की खातेदारी गै0मु0 आबादी दर्ज है। मौके पर उक्त खसरा नम्बर में विगत 40 वर्षो से राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, एवं पटवार भवन बना हुआ है व गुंजन, धीरज पिता अशोक जाति बलाई का मकान बना हुआ है। आराजी खसरा नं0 1364 में मौके पर सडक बनी हुई है साथ ही ग्राम की आबादी बसी हुई है। प्रश्नागत आराजी अप्रार्थी सं01 से 6 के नाम खातेदारी में दर्ज है । प्रार्थी तहसीलदार शाहपुरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खातेदार काश्तकार द्वारा हानिप्रद कार्य व शांति भंग करने के कारण ग्राम अमरसर के आराजी ख0नं0 1364 रकबा 5.84 है0 को खातेदार काश्तकार के खातेदारी अधिकार समाप्त किया जाकर उक्त खसरा नम्बर को सिवायचक सरकार घोषित किया जावे व बैदखली के आदेश किये जाकर भूमि कब्जे राज लेने के आदेश फरमाने की कृपा करें ।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली गयी तथा दावा काबिले समात होना पाया जाने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण की सुनवाई के लिए जरिये सम्मन तलबी जारी करवाई गयी । अप्रार्थीगण सं0 4 व 5 ने दिनांक 5.6.2023 को उपस्थित होकर जाहिर किया कि मौके पर कुछ खाली कृषि भूमि भी है जिस पर हमारा कब्जा है और मजमेआम में उन्होने ने अवगत कराया कि जो खाली भूमि है उसे हमारे ही नाम रखते हुए शेष भूमि जिसमें विभिन्न सरकारी कार्यालय आदि और पूर्ण रूप से आबादी वर्षो से रह रही है , को सिवायचक दर्ज कर दिया जावे ।

अप्रार्थीगण सं0 4 व 5 के द्वारा उपस्थित होकर आपत्ति जाहिर करने पर प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से पुनः मौका रिपोर्ट भिजवाने हेतु निदेशित किया गया । तहसीलदार शाहपुरा ने प्रकरण में पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई ।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिर्पोट का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रश्नागत आराजी खसरा नम्बर 1364 भू प्रबन्ध बन्दोबस्त समय से राजस्व रिकार्ड में गै0मु0आबादी दर्ज है तथा मौके पर आबादी बसी हुई होना, सड़क बनी हुई होना तथा विभिन्न सरकारी विभागो के भवन बने हुये होना बताया है। तहसीलदार के द्वारा पेश प्रकरण के संलग्न ग्राम पंचायत के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में उक्त प्रश्नागत आराजी में 200 वर्षो से आबादी बसी हुई होना बताया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया है साथ ही यह भी जाहिर किया है कि कुछ भवन 400 से 500 वर्ष पुराने भी है जो हवेलिया बनी हुई होने से खातेदारों के खातेदारी हक हकूक समाप्त कर भूमि सरकार के नाम दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया ।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

हमने प्रकरण को राज्य सरकार की ओर चलाये जा रहे मंहगाई राहत शिविर कैम्प अमरसर मे रखा तथा उपस्थित मौतबिरान से प्रश्नागत आराजी के सम्बन्ध में जानकारी करने पर अभियान में उपस्थित सभी आम जन ने जाहिर किया कि प्रश्नागत आराजी में मौके पर किसी के द्वारा कास्त नहीं की जा रही है । प्रश्नागत आराजी में मौके पर विभिन्न सरकारी विभाग जिनमें मुख्यतः राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन, पटवार भवन बने हुए है तथा मौके पर आबादी बसी होने के साथ सड़के भी बनी हुई है । इसके अतिरिक्त अन्य कई विभागो के भी भवन बने हुए है मौके पर कोई कास्त नहीं होना बताया गया । तहसीलदार शाहपुरा के द्वारा भी प्रकरण में यही जाहिर किया गया है कि मौके पर कोई कास्त नहीं होकर आबादी बसी हुई है तथा सडक बनी हुई है राजस्व रिकार्ड में गै0मु0आबादी दर्ज है । अप्रार्थीगण सं0 4 व 5 की ओर से की गई आपत्ति की जांच मे यह अवश्य दर्शाया गया है कि प्रश्नागत आराजी खसरा नम्बर 1364 रकबा 5.84 है0 में से लगभग 0.20 है0 भूमि खाली है शेष में आबादी, विभिन्न विभागो के सरकारी भवन व सड़क बनी हुई होना राजस्व नक्शा टेस में भी बताया है ।

अप्रार्थीगण को इस सम्बन्ध में वजह जाहिर करने के लिए नोटिस जारी करने पर उसकी ओर से मजमें आम में उपस्थित होने पर विधिवत सुनवाई की जाकर मजमे आम में जानकारी प्राप्त की प्रश्नागत आराजी पर लगभग 50.–60 वर्षो से आबादी बसी हुई है और विभिन्न सरकारी कार्यालय इत्यादि जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अमरसर, पटवार भवन आदि बने हुए है । आराजी के 2 खातेदारों को छोड़कर शेष खातेदारान लगभग 50–60 वर्ष पूर्व यहां से चले गये और फिर कभी आज दिनांक तक वापिस नहीं आंये है। चूंकि वर्तमान जमाबन्दी में भी भूमि की किस्म गै0मु0आबादी दर्ज है, जिसकी किस्म भू प्रबन्ध बन्दोबस्त के दौरान भी गै0मु0आबादी दर्ज रिकार्ड है।, तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रकरण में पेश मौका रिपोर्ट नक्शा ट्रेस जमाबन्दी आदि एवं मंहगाई राहत शिविर में उपस्थित मौत बिरान, सरपंच ग्राम पंचायत आदि से जानकारी प्राप्त करने पर पाया गया कि प्रश्नागत आराजी में मौके पर लगभग 0.20 है0 भूमि को छोडकर शेष भूमि में विभिन्न विभागो के भवन, आबादी बसी हुई होना सडक बनी हुई साबित होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 (5) में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि किसी चाही भूमि के क्षेत्र को इमारत की जमीन में अथवा ईंटे बनाने की जगह में बदलने पर अथवा कोई अस्थाई छाया के रूप में काम में लेने पर या सूखे मौसम मे भूमि को नाटक, सर्कस अथवा अन्य तमाशों या हाट वगैरह के लिए देने पर यह माना जावेगा कि आसामी को बैदखली किये जाने का पर्याप्त आधार विद्यमान है । किसी मुदाहिदा की शर्त को भंग करने पर भी काश्तकार को जोत से बैदखल किया जा सकेगा । प्रश्नागत प्रकरण में भी अप्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि में अकृषि आबादी व सड़क का कार्य कर मुदाहिदा की शर्तो को भंग करने का कृत्य प्रमाणित है। अप्रार्थी को समुचित अवसर प्रदान करने के बावजूद भी उसके द्वारा न तो प्रश्नागत आराजीयात की किस्म भूमि संपरिवर्तन करवाई है एवं न ही इसमें अकृषि कार्य नहीं करने के सम्बन्ध में कोई अनुबन्ध या करार प्रस्तुत किया गया है ।इस प्रकार प्रकरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने तथा मजमे आम में जानकारी करने पर पाया गया कि प्रश्नागत आराजी का लगभग 50–60 वर्षो से कृषि से अकृषिक प्रयोग मौके पर हो रहा है तथा विभिन्न विभागो के सरकारी भवन तथा आबादी के रूप में मौके पर मकान बना कर रह रहे व्यक्तियों को पट्टा आदि नहीं मिल रहा है तथा बैंक आदि से ऋण व अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ नही मिल रहा है। अतः व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए कृषि भमि का गैर कृषि उपयोग होने के कारण सिवायचक घोषित किया जाना उचित समझते है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मुतनाजा ग्राम अमरसर तहसील शाहपुरा के हाल खसरा नम्बर 1364 रकबा 5.84 है0 में से 5.64 है0 भूमि में अप्रार्थीगण सं0 1से 6 के खातेदारी अधिकारी समाप्त किये जाकर तथा बैकं के नाम रहनमुक्त कर राजकीय सिवायचक घोषित किया जाता है तथा शेष 0.20 है0 भूमि यथावत अप्रार्थीगण के नाम तथा बैके के यथावत रहन रहेगी । लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना से अवगत करावें । तदानुसार पालनार्थ तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे । पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06-06-2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर